

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा0) वनमण्डल,

07141-234700(कार्यालय), E-Mail -- dfotwbetul@mp.gov.in

क्रमांक/स्टोर/2025/ 1308

बैतूल, दिनांक 24/07/2025

प्रति,

उप संचालक {विज्ञापन},
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क परिसर,
बाणगंगा, भोपाल {म0प्र0}

विषय :- ई-निविदा सूचना का प्रकाशन।

- 0 -

विषयांतर्गत लेख है कि पश्चिम बैतूल (सा0) वनमण्डल के अंतर्गत विभागीय कार्य हेतु मासिक किराये पर वाहनों हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 37 / ई-टेंडरिंग/2025-26 दिनांक 22/07/2025 से निविदा आमंत्रित की गई है।

अतः दिनांक 30.07.2025 के पूर्व प्रदेश के मुख्य समाचार/स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित का प्रकाशन करने का कष्ट करें। विज्ञापन की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न :- विज्ञापित की प्रति।

पृ.क्रमांक/स्टोर/2025/ 1309

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल सामान्य वनमंडल
बैतूल, दिनांक 24/07/2025

प्रतिलिपि :- 1- मुख्य वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- जन संपर्क अधिकारी बैतूल,

संलग्न :- विज्ञापित की 1 प्रति।

3- समस्त उप वनमण्डलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम बैतूल(सा0) की ओर सूचनार्थ।

संलग्न :- विज्ञापित की 1 प्रति।

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम बैतूल सामान्य वनमंडल

निविदा की शर्तें हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)

विषय - सूची

खंड-सं.	विवरण	पेज
खंड-I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	3-4
खंड-II	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी)	3-12
	ए. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी	3-4
	बी. निविदा दस्तावेज	5-6
	सी. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन	6
	डी. अनुबंध प्रदान करना	07-08
	ई. अन्य नियम और शर्तें	08
	अनुलग्नक 1 से 7	09-16

खंड -I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश शारान

कार्यालय -पश्चिम बैतूल (सा0) वनमंडल मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या ~~37~~ / ई-टेंडरिंग / 2025-26 दिनांक 22/07/2025

1. वनमंडलाधिकारी, पश्चिमबैतूल(सा0) वनमंडल द्वारा म0प्र0 भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित-2022) के अंतर्गत वन्य एवं वन्यप्राणी तथा अन्य वन संपदा की प्रभावी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	वाहन का प्रकार	सात्यंकार की निधि (रु. में)	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	स्कॉर्पियो	20,000	1000/-
2	बोलेरों ए.सी.		

- 1-निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- 2-इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर (दिनांक) 24-07-2025 बजे 06:00 PM से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते हैं।
- 3-ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- 4-ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- 5-ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल - <https://www.mptenders.gov.in/>

क्र.	जानकारी	विवरण
1	निविदा प्रारंभ करने की तिथि	24.07.2025 दोपहर 06.00 बजे
2	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	06.08.2025 शाम 06:00 बजे
3	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	08.08.2025 शाम 06:00 बजे
4	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	09.08.2025 शाम 06:00 बजे
5	जमा करने का प्रकार	आनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करे

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम बैतूल (सा0) वनमंडल

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)
मध्यप्रदेश शासन

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमंडल अंतर्गत वन्य एवं वन्यप्राणी तथा अन्य वन संपदा की प्रभावी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मासिक किराये पर वाहन अनुबंधित करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/...37.../ई-टेंडिंग/2025-26/ दिनांक 22/03/2025
3	निविदा शुल्क / निविदा दस्तावेज की लागत	1,000 /- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्याकार निधि	राशि रुपये 20000 /-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल वनमंडल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	राशि रुपये 20000 /-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	राशि रुपये 15,00,000 /-

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल (सा0) वनमंडल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

2. वनमंडलाधिकारी पश्चिम बैतूल (सा0) वनमंडल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

3. प्रति निविदाकार एक निविदा:

3.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलपक 6 में दी गई है।

3.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।

4. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

5. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि यह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम बैतूल (सा0) वनमंडल

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :-

- i) जीएमटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
- ii) पैन कार्ड
- iii) आधारकार्ड
- iv) 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक -1
- v) पूरा अनुलग्नक -2
- vi) पूरा अनुलग्नक -3
- vii) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण
- viii) वाहन का रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेन्सिव बीमा, रोड टैक्स चुकता प्रमाण पत्र
- xi) वाहन चालक का आधार, वाटर आई.डी.

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की ग्राह्यप्राप्तिपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

- 9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।
- 9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालियों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।
- 9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

- 10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित - 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।
- 10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)
- 10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
- 10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
- 10.5 सत्यांकार निधि जप्त की जा सकती है:
- 10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है:

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत / हेरफेर / छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जप्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना

सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए विवरण की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल की मौखिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।

18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे पश्चिम बैतूल (सा0) वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन:-

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।

[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]

22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।

23. यदि कोई फर्म शुन्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/वनमण्डलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।

25. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार:

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

29. नियोजता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग 11 "महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में 'वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा0) वनमण्डल जिला बैतूल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

31. स्वीकृत निविदाकार प्रदाय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय स्थल पर प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे।

32. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिफाई किए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: -

- I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो गमिति / वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
- II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।
33. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
34. स्वीकृत निविदाकार द्वारा सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकर्ता को अन्य निविदाकारों से L-2, L-3 आदि के क्रम में निविदा दर पर सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी।

36. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 35.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 36.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
- 35.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
36. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
37. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई. अन्य नियम और शर्तें

38. किराये के अनुबंधित गश्ती वाहनों में जी.पी.एस. (GPS) उपकरण लगा हुआ होना चाहिए।
39. अनुबंधित वाहनों में Front & Rear कैमरे (गश्ती के दौरान घटनाओं को Capture करने के लिये) लगा हुआ होना चाहिए।
40. निविदा के विरुद्ध लगाये जाने वाले प्रस्तावित वाहन का पंजीयन एवं बीमा की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ लगाई जाना आवश्यक रहेगा।
- 41 रजिस्टर्ड फर्म प्रथम पक्ष (निविदाकार) का रहेगा। जिसके पास नियमानुसार फोरव्हीलर एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक रहेगा। वाहन चालक का वेतनभत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। निविदा कार द्वारा निविदा के साथ समस्त दस्तावेज की स्वाप्रामाणित एक प्रति स्कैन कर एम०पी०टेण्डर की साइट में ई-निविदा के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा जैसे: (जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधारकार्ड एवं फर्म का पंजीयन) स्वामित्व का प्रमाण-पत्र देना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार्य योग्य नहीं होगी।
42. अनुबंध अवधि में यदि निविदा कार द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है और यदि संबंधित कार्यालय या अधिकारी द्वारा अन्य स्रोत से वाहन किराये पर लिया जाता है। तो अंतर की राशि निविदाकार के अर्नेस्ट मनी से वसूल योग्य रहेगी तथा वसूली उपरांत अर्नेस्ट मनी की शेष राशि संबंधित निविदा कार द्वारा 15 दिवस के अन्दर पुनः जमा करना अनिवार्य रहेगा।
43. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। प्रस्ताव मान्य होने पर वाहन प्रतिमाह बिना किसी अवकाश के प्रति दिन वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा।
44. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का बीमा, सड़क सुरक्षा प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, वाहन के व्यावसायिक उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस / प्रमाण पत्र, रोड़ टैक्स की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की रहेगी।
45. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान निविदाकार / वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
46. कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार के मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार / वाहन प्रदायकर्ता की रहेगी।
47. किराये पर लिये गये वाहन की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन को कार्यालय से हटाने का सम्पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल पश्चिम का रहेगा।

48. निविदा स्वीकृति उपरांत संबंधित निविदाकार द्वारा वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति, उसके निवास का पता एवं संस्था का सत्यापन प्रमाण पत्र की छायाप्रति वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल कार्यालय पश्चिम बैतूल के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य रहेगा।
49. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा तथा संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। वाहन की लॉगबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयको का भुगतान किया जावेगा।
50. किराये पर अनुबंधित वाहन का मासिक किराये का भुगतान कार्यालय द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार स्वीकृत निविदाकार के बैंक खाते में किया जावेगा।
51. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है टायर ठूब, एयर कंडिशनर चालू हालत में होना चाहिए तथा माईलोमीटर चालू हालत में होना अनिवार्य रहेगा, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। खराब होने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
52. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदा कार्य को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि निविदा का कार्य अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी शासन के पक्ष में राजसात करते हुये काली सूची में नाम दर्ज कर 03 वर्षों के लिये शाराकीय विभाग में भाग लेने हेतु आयोज्य किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
53. वाहन चालक/ड्राइवर को वाहन कार्यालय के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रति दिन वाहन चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित अधिकारी को वाहन छोड़ने की पूर्व सौपना अनिवार्य रहेगा। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार चलाया जावेगा।
54. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख-रखाव की जिम्मेदारी निविदाकार की रहेगी।
55. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिए कार्यालय/वाहन धारण करने वाला अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेगा।
56. निविदा कार द्वारा ई-मेल पता, एक दूरभाष लेण्डलाइन एवं दो मोबाईल नम्बर (एक जिसमे व्हाट्सएप चलता हो) निविदा में लेख किया जावे जिस पर वाहन संबंधी जानकारी बावत् सूचना का आदान प्रदान किया जावेगा, जो निविदा कार को मान्य करना अनिवार्य रहेगा।
57. जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण चलन में नहीं होगा, उस दिन का किराया देय योग्य नहीं रहेगा। वाहन के खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना रहेगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में कार्यालय यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अन्तर की राशि वाहन स्वामी/निविदाकार से वसूल की जावेगी।
58. वाहन पर वैध लाईसेंस धारी ड्राइवर को ही रखा जावेगा। ड्राइवर को समय का पाबंद, मदिरा अथवा अन्य दुर्यसन रहित तथा अच्छे व्यवहार, अच्छे चाल चलन वाला होना आवश्यक रहेगा। ऐसा न होने पर प्रदायित वाले एवं वाहन चालक सहित कभी भी वाहन वापस करने का सम्पूर्ण अधिकार संबंधित अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
59. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन स्वामी की रहेगी। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय निविदाकार/वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।
60. वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वाहन चालक एवं निविदाकार/वाहन स्वामी सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
61. निविदाकार/वाहन स्वामी को केन्द्रीय उत्पाद कर (सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी) विभाग के अंतर्गत नियमानुसार सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा एवं इस का पंजीयन क्रमांक निविदा प्रपत्र एवं देय को पर अंकित होना आवश्यक रहेगा।
62. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित (टी.डी.एस.) की कटौती की जावेगी। इस हेतु रजिस्टर्ड फर्म/व्यक्ति का PAN देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयको पर होता अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित को टी.डी.एस. प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
63. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमण्डलाधिकारी सा. वनमण्डल पश्चिम बैतूल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य रहेगा।
64. उक्त निविदा की स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 अर्थात 31.03.2026 तक लागू रहेंगी। किन्तु वित्तीय वर्ष के बाद भी आगामी निविदा पूर्ण होने तक यही दरें मान्य रहेगी।
65. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बैतूल रहेगा।
66. वाहन चालक 12 घंटे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इस हेतु व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वाहन चालक की अवकाश पर होने की स्थिति में वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
67. किराये पर अनुबंधित किये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2022 के पूर्व का मान्य नहीं किया जावेगा।
68. निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार द्वारा विन्दुक्रमांक 01 से 39 में उपरोक्त वर्णित शातों का उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर उसकी निविदा निरस्त किया जाकर जमा अमानत राशि को शासन के पक्ष में राजसात करते हुए काली सूची में नाम दर्ज किया जाकर द्वितीय सफल निविदाकार को उपरोक्त शर्तों के अधीन वाहन प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा, इस बावत् वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल पश्चिम का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी रहेगा।

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

Rs. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक: //

मेरा मैं,

वनमण्डल अधिकारी

-----जिला -----म०प्र०

महोदय/महोदया,

दिनांकके निविदा संदर्भ संख्या.....के
प्रत्युत्तर में,के स्वामी/भागीदार/
निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....का रिकार्ड वेदांग है
तथा उसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और
धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा
अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जख्त कर ली
जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर: -

दिनांक:

स्थान

अनुलग्नक - 2

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण स्वघोषणा

1. निविदाकार / फर्म का नाम : -----
2. पिता का नाम : -----
3. स्थायी पता मकान क्रमांक : -----
गली क्रमांक : -----
स्थान : -----
जिला : -----पिन कोड -----
4. कार्यालय का पता : -----
गली क्रमांक : -----
स्थान : -----
जिला : -----पिन कोड -----
5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार - एफ.डी.आर / बैंक गारंटी / -----
संख्या दिनांक -----
राशि -----
बैंक का नाम -----
6. जी.एस.टी. नम्बर -----

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं, -----
पिता/पति -----

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूप: सामग्री प्रदाय क्षेत्र घमण प्रमाण पत्र

मैं/हम जानता हूँ / जानते हैं

कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमण्डल का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम,

..... वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4
पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

1. (किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में): सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव:

क) तीन समान कार्य जिसके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ख) दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है; अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक 5
स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र. दिनांक

प्रति,

मेसर्स.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय:

-XOX-

प्रिय श्री,

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा विल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है। -

क्र. सं	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रुपये (रुपये. (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/ निष्पादन गारंटी (रुपये केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी,के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलोक 6
संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा;
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो;
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा;
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर [सी] के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में];
 - ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए;
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो; और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/ संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें;

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"
---------	----------------	---------------------------	-----------	-----------

अनुलग्नक 7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक..... को वनमण्डल अधिकारी..... जिला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जाएगा) और मेसर्स..... (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी,.....म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचानसंख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज़ में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज़ जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके माध्यम से पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर..... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्त.....द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त.....की उपस्थितिमें:

वनमण्डल अधिकारी

..... (म०प्र०) निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

पश्चिम बैतूल (सा.) वनमंडल अन्तर्गत स्थित वन परिक्षेत्रो / उपवनमण्डल/वन चौकी में प्रभावी वन सुरक्षा की दृष्टि से संतत व नियमित गश्ती एवं वरिष्ठ अधिकारियों के वन भ्रमण हेतु किराये पर अनुबंधित किये जाने वाले वाहनो हेतु निविदा प्रपत्र

1. वाहन मालिक / ट्रेव्हेल एजेंसी का नाम एवं पत्ता
..... (यदि साझा फर्म है तो पार्टनर शिप डील मंजूर करें)
2. दूरभाष क्रमांक.
कार्यालय.....
निवास. मो०नं०.....
3. फर्म का सर्विस टैक्स हेतु केन्द्रीय आवकारी विभाग को पन्द्रह डिजिट का पंजीकरण क्रमांक.....
.....(प्रतिलिपि लगाये)
4. फर्म का आय कर हेतु पैन नम्बर..... (प्रतिलिपि लगाये)
5. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक.....
(रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेन्सिव बीमा, रोड टैक्स चुकता प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति लगायें)
6. वाहन का मेक.....
7. वाहन का मॉडल /वर्ष डीजल औसत / प्रति कि.मी.....
8. मासिक न्यूनतम किराये की दर..... खपत दर
(पी.ओ.एल. रहित समस्त टैक्स तथा वाहन चालक सहित)
9. निविदा के साथ सत्यकार राशि के रूप में जमा की गई राशि का विवरण बैंक एफ०डी०आर० क्रमांक बैंक का नाम दिनांक राशि.....
10. निविदाकार का घोषणा-पत्र (घोषणा-पत्र पूर्ण रूप से भर कर संलग्न किया जावे)
11. भुगतान संबंधी जानकारी- बैंक का नाम
खाताक्रमांक.....
आई. एफ.एस.सीकोड.....
12. सम्पर्क सूत्र दूरभाष क्रमांक..... मो०नं०.....

कार्य का विवरण

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	दर प्रतिमाह	दर प्रतिदिन	मात्रा
01	स्कार्पियो				
02	बोलेरो ए०सी०				

नोट:- उपरोक्तानुसार वाहनो की दरें एम०पी०टेण्डर की साईट मे ई-टेण्डर के माध्यम से निर्धारित BOQ फाईल में भरी जावेगी।

वाहन मालिक/निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम / पता एवं मो०नं०